कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–4 / 2018 / 10–11 / 3095 भोपाल, दिनांक 4-10-18

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
भोपाल वृत्त, भोपाल
मध्यप्रदेश।

विषयः–जिला विदिशा के अंतर्गत 02 विण्ड मास्ट स्थापित करने हेतु 2.88 हेक्टेयर वन भूमि की अनुमति बावत्।

संदर्भः–आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 1643, दिनांक 28.07.2018

––0––

जिला विदिशा के अंतर्गत 02 विण्ड मास्ट स्थापित करने हेतु 2.88 हेक्टेयर वन भूमि की अनुमति बावत् प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक / मा.चि. / 1643, दिनांक 28.07.2018 से प्राप्त हुआ। जिस पर राज्य शासन, वन विभाग का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर उक्त अनुमति निम्न शर्तों के तहत 02 वर्ष के लिये दी जाती है :–

1. यह 100 मीटर व्यास के क्षेत्र में स्थापित किया जावेगा। इस प्रकार इस कार्य हेतु विण्ड मास्ट = 0.785 x 2 = 1.570 हेक्टेयर में 02 विण्ड मास्ट लगाने की अनुमति दी जाती है। यह विण्ड मास्ट अनुमति जारी होने के 02 वर्ष की अवधि में हटाने होंगे।
2. भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 22.06.2007 की कंडिका 4 के अनुसार प्रति विण्ड मास्ट रू. 1.00 लाख की राशि का भुगतान आवेदक विभाग को ऑनलाईन ई–पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।
3. प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन्य प्राणी संरक्षण, 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों का पालन करना होगा।
4. प्रकरण में यदि भविष्य में कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो आवेदक को उसका पालन करना होगा।
5. शर्त क्रमांक–2 के तहत प्रति विण्ड मास्ट रू. 1.00 लाख की राशि ई–पोर्टल से जमा कराने के पश्चात ही कार्य करने की अनुमति जारी की जावेगी।

04/10/18
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–4 / 2018 / 10–11 / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल, विदिशा, मध्यप्रदेश।
2. Vish Wind Inrfrastrukture LLP Andheri (West) Mumbai, 400053

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04/10/18
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\Old Section F-4.doc